

कार्यालय वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
पत्रांक 2120 / 14-1 दिनांक, आजमगढ़, मई, 17-2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

जनपद बलिया में बलिया-गाजीपुर से बिहार बार्डर (मांझी घाट) तक बनने वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 3248 / 11-सी-FU / UP / Road / 148569 / 2021 दिनांक 11.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बलिया ने अपने पत्रांक 2708 / 14-1 दिनांक 10.05.2023 द्वारा जनपद बलिया में बलिया-गाजीपुर से बिहार बार्डर (मांझी घाट) तक बनने वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन से सम्बन्धित प्रस्ताव में उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कराकर बिन्दुवार आख्या मय संस्तुति सहित 4 प्रतियों में संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बलिया द्वारा उपलब्ध कराई गई बिन्दुवार आख्या से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए आख्या तीन प्रतियों में संस्तुति सहित मय संलग्नक आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Bondu Sharma

(डा० बी०सी० ब्रह्मा)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक
आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक अनुपालन आख्या विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प०का०ई० आजमगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० बी०सी० ब्रह्मा)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक
आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।